न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 26/2026

1. सुमित्रादेवी पत्नी जगदीष जाति जाट निवसी शोभा का बास हाल आबाद 30 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

.....वादिया

बनाम

1. सुगनीदेवी बेवा रामकुमार जाति जाट निवासी ढिलसर(झुझनू) हाल आबाद 30 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
2. हुणताराम पुत्र बक्साराम निवासी कालेरा की ढाणी पोस्ट कालीयासर तहसील मलसीसर जिला झूंझनू
3. फूलचन्द उर्फ फूलाराम पुत्र बक्साराम निवासी कालेरा की ढाणी पोस्ट कालीयासर तहसील मलसीसर जिला झूंझनू
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए आर.टी. एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :– 17.03.26

यह वादपत्र वादिया की ओर से अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि चक 30 केजेडी मु0नं0 186/30 में किला नं0 9/1 में 0.0253 है0, व मु0नं0 186/62 के किला नं0 17 ता 25 में 2.2225 है0 कमाण्ड इसप्रकार दोनों मुरब्बों में 2.2508 है0 कमाण्ड तथा चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 6.3225 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के पति रामकुमार पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी ढिलसर द्वारा खरीदषुदा एवं कब्जा काष्त में थी, रामकुमार की मृत्यु दिनांक 15.01.26 को हो चुकी है। उपरोक्त भूमि आवंटन के बाद मृतक रामकुमार काबिज काष्त होकर इस भूमि पर काष्त करने लगा लेकिन उपरोक्त भूमि में रहने के लिए मकान नहीं था व रामकुमार की अर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी इसलिए वह अपने भाई राजूराम के साथ ही रहता था। प्रतिवादीया भी उसको संभालने नहीं आती थी। वह रूस कर अपने पीहर रहने लगी या कभी–कभार ग्राम ढिलसर में आ जाती थी। प्रतिवादी सं. 01 का अपने मृतक पति रामकुमार में मनमुटाव चलता था इसलिए वह यहा नहीं आती थी रामकुमार यहा अकेला रहता था उसकी कोई संतान नहीं थी। वादीया की शादी दिनांक 26.05.2000 को हुई, प्रतिवादी संख्या 01 वादीया की काकेर सास लगती है व मृतक रामकुमार जी उसके काकेर ससुर लगते थे। श्रीमान जी 2002 में वादीया के घर लड़के का जन्म हुआ तो जून 2002 में प्रतिवादीया संख्या 01 ने वादीया को कहा की तुम मेरे साथ खाजूवाला (30 केजेडी) चलों और जैसे तैसे तुम मिया–बीबी मेरे साथ चल कर मेरा राजीनामा करवाओं तो वादीया अपने नवजात षिषु को लेकर अपने पति एंव प्रतिवादी संख्या 01 को साथ जून 2001 में मृतक रामकुमार जी जो कि मेरे रिस्ते में काकेर ससुर भी थे के घर 30 केजेडी आई रहने को उनके पास मकान नहीं था और

कच्चा झोपड़ा था मैने व मेरे पति ने प्रतिवादीया व उसके पति का राजीनामा करवाया व घर बैठ कर बातचीत की तो मृतक रामकुमार ने वादीया को कहा की तुम्हे धर्म की बेटी मानता हूं और मै इसी शर्त पर सुगनी देवी को साथ रख रहा हूं कि तुम्हे गोद ले रहा हूं व तुम ही वृद्धा अवस्था में हम दोनों की सेवा करोगी व सार सार संभाल करोगी तथा मैं मेरे नाम से जो कृषि भूमि भविष्य में आपके ही नाम करवाउगा। वादीया यहा पर काफी दिन रूकी व प्रतिवादीया संख्या 01 को मृतक रामकुमार के घर समझा बुझा कर छोड़ गई ताकि वे दोनों एक साथ रह सकें। उसके बाद प्रतिवादीगण संख्या 01 व उसके पति ग्राम शोभा का बास गये वहा पर मेरे ससुर व उसके भाईयों सारें परिवार मौजूदगी में मौखिक रूप से मुझे अपनी दतक पुत्री के रूप में स्वीकार किया और मुताबिक हिन्दू धर्म एवं जातिय रिजी रिवाज अनुसार गुड बंटवाकर गीत गायें गये तथा कहा की भविष्य में लिखित एवं रिकार्ड में अन्य दस्तावेजों आपका नाम और लिखवा दूंगा और मेरी मृत्यु के बाद तुम ही मेरी सेवा करोगी एवं तुम ही मुझे संभालोगी। वर्ष 2001 से 2006 तक लगातार नहर में पानी नहीं चलने के कारण नहरी क्षेत्र में अकाल पड़ गया था इसलिए जब भी प्रतिवादीगण सं0 1 व उसके पति को रूपयों की आवष्यकता होती तो वादीया या तो स्वंय के पास से या अपने पीहर से रूपयो उधार लाकर उनको दे देती वादीया ने एक बार अपनी ननद सावित्रि से भी तीन लाख रूपये उधार लेकर बनवारी लाल के मार्फत मृतक रामकुमार को दिये जिससे पानी डिग्गी बनवाई व उस वक्त दो लाख रूपये अपनें पीहर से लाकर मेरे काकेर ससुर जो कि मेरा धर्म का पिता भी था तो उन्होने रहने के लिए दो पक्के कमरे व चार दिवारी बनवाई। वर्ष 2015 में वादीया ने मृतक रामकुमार जी जो कि उसका दतक पिता भी था को रहने के लिए चक 30 केजेडी का मुरब्बा नम्बर 186/62 पक्का आलीषान मकान बनाने के लिए 25,00,000/– रूपये मेरे रियल ससुर(बजरंग लाल) से लाकर दिये दस लाख रूपये मेरे पिता से उधार लाकर रामकुमार जी को सौप दिये तथा मेरी शादी में जो करीब 40 तोला सोना था उसमे से 35 तौला सोना के जेवरात मृतक रामकुमार जी सौंप दिये जो कि उन्होने सोना को बेच कर जो पैसा प्राप्त हुआ व भी मकान निर्माण में लगा दिया और लाखों रूपये का वादीया ने जामनगर गुजरात से मकान में लगाने के लिए कुण्डे, सांकल, गेट इत्यिादी सुरेष लोहार के साथ में भिजवाये व मकान में जो टाईल लगी थी वे मोरवी गुजरात से मंगवाकर लगवाई गई व दिहाड़ी मजदूरी अन्य खर्च करके वादीया ने अपने दतक पिता मृतक रामकुमार व माता प्रतिवादी सं. 01 के रहने के लिए आलीषान मकान जो की पचास लाख में बनाकर दिया ताकि वे अपना उच्च स्तर का जीवन यापन कर सके। मकान निर्माण करने में वादीया ने करीब चालीस लाख रूपये कर्जा कर लिया व उसका 35 तोला सोना रामकुमार जी को दिया जो उन्होने बेच कर मकान में लगा दिया वादीया अपने पुत्री धर्म का पालन करती रही ताकि प्रतिवादीगण सं. 01 उनके पति को संतान ना होने के बात नहीं खले। वादीया कई बार मृतक दतक पिता रामकुमार को रजि. गोदनामा एंव तस्दीक करवाने का निवेदन किया तो वह कहता की इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे मरने के बाद में सभी कुछ आपका ही है आप ही का मकान बनाया व डिग्गी बनाई है व मैने तुम्हे धर्म की बेटी मानकर गोद लिया है मेरे मरने के बाद सब कुछ तुम्हारा ही है वादीया एंव प्रतिवादीगण संख्या 01 मृतक रामकुमार जी जो कि उनके दंतक पिता थे उनका आपस

में परिवारीक खून का रिष्ता होने के कारण अविष्वास की कोई जगह नही थी वादीया भी उन पर बहुत अधिक स्नेह और विष्वास करती थी इसलिए लिखित रूप से गोदानामा अन्य रजि. दस्तावेजों की आवष्यकता महसूस नही की और सब कुछ गुड फेथ मे चलता रहा। धार्मिक एंव जातिय रिती रिवाज से वादीया को मेरे काकेर ससुर (मृतक) व प्रतिवादीगण संख्या 01 द्वारा गोद लेने उपरांत उनकी विधिक रूप से दतक पुत्री हो गई तथा वह उन दोनों की देखभाल करती यह उनके साथ आंकर महिने–महिने रूकती तथा अपनी पुत्री धर्म के दायित्वों का निर्वाह करती इस प्रकार वह उनकी गोद पुत्री होने के कारण मृतक रामकुमार की समस्त चल ओर अचंल सम्पति में वादीया को मुताबिक हिन्दू विधी पुत्री के रूप मे हक हकूक पैदा हो गया है तथा वह मृतक की वादगत कृषि भूमि मे, प्रतिवादी संख्या 01 के साथ 1/2 हिस्सा ब0हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 जो कि प्रतिवादी संख्या 01 के सगे भाई है उनके मन में लालच आ गया है वह प्रतिवादीगण संख्या 01 को उकसाते है और मुझे वादगत भूमि के कब्जा काश्त से बेदखल करने की धमकी देते है। मेरे द्वारा आगे भूमि काश्त दे रखी है उस काश्तकार को धमकी मारते है तुम्हे भूमि खाली करनी पडेगी व तुम्हे हिस्सा नही देगें तथा प्रतिवादीया संख्या 01 को प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करके वे सभी मिलकर मेरे हक एंव हकूक मे आई कृषि भूमि को हडपना चाहते है व पचास लाख का जो मकान मेरे द्वारा जेवरात बेच कर व पैसे उधार लाकर बनाया था उस पर वे कब्जा जमाना चाहते है मुझे अपने हक से वंचित करने पर आमदा है। दिनांक 27.01.2026 को वादीया ने प्रतिवादी संख्या 04 को गोदनामें के आधार पर वादगत भूमि मुरब्बा नम्बर 186/30, 186/62 व 226/19 की 8.5733 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड का विरास्तन नामान्तरण दर्ज हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व सभी स्थिति से अवगत करवाया तो प्रतिवादीगण संख्या 04 द्वारा कहा गया की हम मौखिक एवं रिती रिवाज के अनुसार गोदनामें को हम नहीं मानते व ना ही हम तुम्हारे नाम से भूमि का विरास्तन नामांतरण करेगें उन्होने स्पष्ट तौर से मना कर दिया इसलिए वादीया को अपने अधिकारों की घोषणा हेतु उपरोक्त दावा अदालत हाजा में प्रस्तुत हो गया। दिनांक 28.01.2026 को वादीया अपने ढाणी मे बैठी हुई थी वही पर प्रतिवादीगण सं. 02 व प्रतिवादीगण संख्या 03 भी आये हुए है। उन्होने वादीया को कहा की तुम इस भूमि में क्या मांगते हो हम कोई दतक पुत्री वगैरह नही मानते, तुम यहा से भाग जाओं, हम दोनों भाई इस भूमि को प्रतिवादीगण सं.01 अपनी बहन के नाम दर्ज रिकार्ड करवाकर ढाणी, डिग्गी सहित किसी अन्य को विक्रय करके जायेगें तुम्हारे से जो बनता है करते रहना, श्रीमान जी इस प्रकार दिनांक 28.01.2026 को प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से वादीया को उसके कब्जा काष्त भूमि एवं ढ़ाणी से बेदखल करने एवं भूमि अपने अकेले प्रतिवादीया संख्या 01 के नाम से दर्ज करवाकर आगे अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय करने की ऐलानिया धमकी दी है, यही कॉज ऑफ एक्षन है। वादीया को अपने हक एंव हकूको की रक्षा हेतू प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना अति आवष्यक हो गया है। प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 षड़यंत्र पूर्वक प्रतिवादी संख्या 01 को बहला फुसलाकर अकेले–अकेले प्रतिवादी संख्या 01 के ही नाम दर्ज करवाना चाहते है जबकि वादीया मृतक खातेदार की विधिक रूप से दत्तक पुत्री है इसलिए उक्त समस्त कृषि भूमि में

उसका 1/2 हिस्सा निष्चित एंव निहित है इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के विरूद्ध वह दावा पेष कर अपने अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 04 राज्य सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने से दो माह का 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन दावा आवश्यक प्रकृति का होने के कारण दो माह का नोटिस दिया जाकर इन्तजार किया गया प्रतिवादी संख्या 01 अपने अकेले ही सम्पूर्ण भूमि नाम करवाकर भूमि का आगे बैयनामा किसी तीसरे व्यक्ति के पक्ष मे पंजीबद्ध कर दिया जायेगा तो वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए 80 (2) सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ दावा पेश करने की अनुमति चाही गई। वादीया द्वारा कॉज ऑफ ऐक्षन प्राप्त होते ही अपने अधिकारो के लिए वादगत भूमि में 1/2 हिस्सा का घोषणात्मक का पेष किया गया है जो दो प्रतियों मे पेष है तथा दावा स्वीकार योग्य है। दावा श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे है। वादगत तहसील खाजूवाला का चक 30 केजेडी मु0नं0 186/30 में किला नं0 9/1 में 0.0253 है0, व मु0नं0 186/62 के किला नं0 17 ता 25 में 2.2225 है0 कमाण्ड इसप्रकार दोनों मुरब्बों में 2.2508 है0 कमाण्ड तथा चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 6.3225 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि इस प्रकार तीनों मुरब्बों में 8.5733 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 व 1/2 हिस्सा स्वंय वादीया को खातेदारी अभिधारी घोषित किया जावें व उसी अनुसार 1/2 हिस्सा वादीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज किया जावें। चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के खिलाफ इस अमर की जारी की जावें कि वह वादीया को वादगत भूमि मय ढाणी से बेदखल ना करें ना ही ऐसा अन्य कोई कृत्य ना करें जिससे वादगत भूमि के संबंध मे विपरित असर पड़ता हो।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाने पर प्रतिवादी सं0 1, 2 के अधिवक्ता श्री रहमान खां ने जवाबदावा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रतिवादी सं0 1 के पति रामकुमार ने वादीया सुमित्रा को समाज के सामन अपने धर्म की बेटी माना था व वह हमारे पास चक 30 केजेडी में आकर रहती भी थी व मृतक रामकुमार व सुगनीदेवी की सेवा भी करती थी और प्रतिवादीगण सं0 1 व समाज के लोगों के सामने मृतक रामकुमार कहता भी था कि मैं सुमित्रा को गोद की बेटी मानता था और कहता भी था कि मैं सुमित्रा को चल–अचल सम्पति में हक व हिस्सा दूंगा। मेरे पति ने सुमित्रादेवी से कितना तौला सोना व कितने रूपये प्राप्त किये थे वो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इतना पता है कि चक 30 केजेडी का मु0नं0 186/62 में बनी ढ़ाणी (पक्का मकान) में जो भी पैसा, सामान, टाईल्स, वगेरह लगा था वो सुमित्रा ने ही अपने ससुर व पीहर पक्ष से लाकर लगाए थे और सुमित्रा का पति जो कि मेरा भतीजा भी लगता है उसी ने अपनी देखरेख में ये मकान बनाया था। वादीया व प्रतिवादीगण का आपसी सामाजिक दृष्टि से आपसी समझौता हो गया है जिसमें प्रतिवादीगण सं0 1 के पति मृतक रामकुमार जाट की धारित कृषि भूमि में से चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 की किला नं0 5 ता 7, 13 ता 19, 21 ता 25 इसप्रकार कुल 15.00 बीघा यानि 3.7935 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि वादीया के नाम से दर्ज रिकॉर्ड करवाने पर समझौता हुआ है जो कि उसके नाम से दर्ज की जाती है तो मुझे आपत्ति नहीं है। प्रतिवादीगण ने वादीया को यह कहा था कि आपकी भूमि कहीं नहीं जाएगी। कुछ दिन इन्तजार करों आपके नाम से दर्ज करवा देगें लेकिन वादीया ने जल्दबाजी में उपरोक्त दावा पेष कर दिया। प्रतिवादीगण ने षड्यंत्र नहीं रचा बल्कि वादीया को कहा

की कुछ दिन बाद मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाकर पहले विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाएगें फिर तुम्हारे हक की भूमि देगें लेकिन वादीया ने दावा पेषकर दिया और लोकअदालत की भावना से इसमें समाज के लोगों ने हमारा राजीनामा करवा दिया और सामाजिक समझौते में 15.00 भूमि वादीया के नाम से दर्ज करने हेतु प्रतिवादीगण सहमत है व हमें कोई उज्र व एतराज नहीं है। वादीया को प्रतिवादी सं0 1 का पति व प्रतिवादी सं0 2 का जीजा रामकुमार पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी ढिलसर झूंझनू अपनी धर्म की बेटी मानता था व सुमित्रादेवी गोद पुत्री थी। उसने ही खेत में बनी ढ़ाणी पर रूपये लगाया था व वह 30 केजेडी में आती जाती थी। रामकुमार की मृत्यु होने के बाद हम दोनों का आपस में मनमुटाव हो गया व वादीया ने उपरोक्त भूमि पर वाद पेष कर दिया, जिसपर हमारे समाज की पंचायत हुई जिसमें हमने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया व इस बात पर समझौता हुआ की चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 के किला नं0 5 ता 7, 13 ता 19, 21 ता 25 इसप्रकार कुल 15.00 बीघा यानि 3.7935 हैक्टर कमाण्ड भूमि वादीया के नाम से दर्ज रिकॉर्ड किया जाए व इसको मालिक घोषित कर दिया तो प्रतिवादीगण को उज्र व एतराज व आपत्ति नहीं होगी व शेष भूमि चक 30 केजेडी मु0नं0 186/30 के किला नं0 09 का 0.0253 है0 मु0नं0 186/62 के किला नं0 17 ता 25 में 2.2225 है0 इसप्रकार कुल दोनो मुरब्बों में कुल 2.2508 है0 कमाण्ड तथा चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 का किला नं0 1 ता 4, 8 ता 12, 20 इसप्रकार कुल 10 बीघा यानि की 2.5290 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि मैने मेरे जीवनयापन के लिए मेरे पास रख ली है वो मेरे नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किये जाने का निवेदन करती है। उपरोक्त सामाजिक समझौते से हम सभी सहमत है। जवाब दावा प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत कर अर्ज है कि उपरोक्त वादपत्र जवाबदावे के अनुसार स्वीकार करने की कृपा करें। प्रतिवादी सं0 1 सुगनादेवी ने शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मुझ मिकरा के पति रामकुमार ने सुमित्रादेवी पत्नी जगदीष जाति जाट को दत्तक पुत्री मानता था व सामाजिक रीति रिवाज से सुमित्रादेवी को गोद ले रखा था। रामकुमार की मृत्यु होने के बाद में उसकी धारित कृषि भूमि 28 केजेडी व 30 केजेडी बाबत् मेरा व सुमित्रादेवी का आपस में विवाद हो गया था इसलिए हमारे समाज के मौजूजान व्यक्तियों व रिष्तेदारों ने जिसमें मेरा सगा भाई हणुताराम मौजूद था ने आपसी पारिवारिक समझौता करवा दिया हमने भी लोकअदालत की भावना से राजीनामा कर लिया जिसमें समझौते अनुसार चक 28 केजेडी का मु0नं0 226/19 की किला नं0 5 ता 7, 13 ता 19, 21 ता 25 इसप्रकार कुल 15.00 बीघा यानि की 3.7935 है0 कमाण्ड भूमि वादीया (सुमित्रादेवी पत्नी जगदीष) के नाम से दर्ज रिकॉर्ड किया जाए व उसको उक्त भूमि का मालिक घोषित कर दिया जाता है तो मुझ मिकरा को उर्ज व एतराज व आपत्ति नहीं होगी। चक 30 केजेडी मु0नं0 196/30 के किला नं0 9 का 0.0253 है0 व मु0नं0 186/62 का किला नं0 17 ता 25 में 2.2255 है0, इसप्रकार कुल दोनों मुरब्बों में 2.2508 है0 कमाण्ड तथा चक 28 केजेडी का मु0न0 226/19 के किला नं0 1 ता 4, 8 ता 12 व 20 इसप्रकार कुल 10.00 बीघा यानि 2.5290 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि मुझ मिकरा ने मेरे जीवनयापन के लिए मेरे पास रख ली है जो कि मैं मिकरा तहसील व कोर्ट से अपने नाम दर्ज करवा सकेगी। राकेषकुमार पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी 28 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान ने शपथपत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार रामकुमार जाट मेरा सगा चाचा था मैं रामकुमार के बड़े भाई राजूराम का लड़का हूं। रामकुमार के कोई संतान नहीं थी। इसलिए उसने सुमित्रादेवी को गोद ले रखा है। वह यहां ढ़ाणी में आती है और रामकुमार व उसकी पत्नीी सुगनादेवी को संभालती भी है तथा पक्की ढ़ाणी में उसी का रूपया लगा है। मेरे चाचा रामकुमार पिछले महीने जनवरी में अचानक मृत्यु हो गई

उसके बाद सुमित्रादेवी व सुगनादेवी इत्यादि में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद पैदा हो गया तो हमने व दोनों के रिष्तदारों ने आपसी समझाईष की व इन दोनो पक्षों ने भी लोक अदालत की भावना से दिनांक 22.02.26 को राजीनामा करवा दिया जिसमें यह तय हुआ की चक 28 केजेडी का मु0नं0 226/19 की किला नं0 5 ता 7, 13 ता 19, 21 ता 25 इसप्रकार कुल 15.00 बीघा यानि की 3.7935 है0 कमाण्ड भूमि वादीया (सुमित्रादेवी पत्नी जगदीष) के नाम से तहसील/अदालत के मार्फत दर्ज रिकॉर्ड किया जाए तो सुगनादेवी कोई एतराज व आपति नहीं होगी व ना ही भविष्य में कभी आपत्ति करेगें। चक 30 केजेडी मु0नं0 186/30 के किला नं0 9 का 0.0253 है0 व मु0नं0 186/62 के किला नं0 17 ता 25 में 2.2255 है0 इसप्रकार कुल दोनों मुरब्बों में कुल 2.2508 कमाण्ड तथा चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 किला नं0 1 ता 4, 8 ता 12 व 20 इसप्रकार कुल 10.00 बीघा यानि की 2.5290 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि सुगनादेवी ने अपने जीवनयापन के लिए अपने पास रख ली है जिसको अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करवा सकेगी। प्रतिवादी सं0 2 हुणताराम पुत्र बक्साराम जाति जाट निवासी कालेरा निवासी ढाणी(कालीयासर) झूंझनू राजस्थान ने शपथपत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार मुझ मिकर के सगे जीजा रामकुमार सुमित्रादेवी पत्नी जगदीष जाति जाट को दत्तक पुत्री मानता था व सामाजिक रीति रिवाज से उसको गोद ले रखा था चूंकि मेरे जीजा व मेरी बहन के कोई संतान नहीं थी। सुमित्रादेवी ही उनकी देखरेख करती थी तथा सुमित्रादेवी ने ही अपने माता–पिता, ससुर आदि से पैसे उधार लेकर उनको रहने के लिए पक्का मकान बनाकर दिया था। रामकुमार की मृत्यु होने के बाद में उसकी धारित कृषि भूमि 28 केजेडी व 30 केजेडी बाबत् सुगनीदेवी व सुमित्रादेवी का आपस में विवाद हो गया था व एसडीओ खाजूवाला में सुमित्रादेवी ने दावा पेष कर दिया इसलिए हमारे समाज के मौजूजान व्यक्तियों व रिष्तेदारों ने जिसमें मैं भी मौजूद था तथा कई अन्य व्यक्ति भी मौजूद थे। हम सभी ने इनका आपसी पारिवारिक समझौता करवा दिया हमने भी लोकअदालत की भावना से राजीनामा कर लिया जिसमें समझौते अनुसार चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 के किला नं0 5 ता 7, 13 ता 19, 21 ता 25 इसप्रकार कुल 15.00 बीघा यानि की 3.7935 है0 कमाण्ड भूमि वादीया (सुमित्रादेवी पत्नी जगदीष) के नाम से दर्ज रिकॉर्ड किया जाए व उसको उक्त भूमि का मालिक घोषित कर दिया जाता है तो मुझ मिकर को उज्र व एतराज व आपत्ति नहीं होगी। चक 30 केजेडी मु0नं0 186/30 किला नं0 9 का 0.0253 है0 व मु0नं0 186/62 के किला नं0 17 ता 25 में 2.2255 है0 इसप्रकार कुल दोनो मुरब्बों में कुल 2.2508 है0 कमाण्ड तथा चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 के किला नं0 1 ता 4, 8 ता 12 व 20 इसप्रकार कुल 10.00 बीघा यानि की 2.5290 अनकमाण्ड कृषि भूमि मुझ मिकर की बहन सुगनादेवी ने अपने जीवनयापन के लिए अपने पास रख ली है तथा वह अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारी होगी। प्रतिवादी सं0 3 फूलाराम उर्फ फूलचन्द पुत्र बक्साराम जाति जाट निवासी कालेरा की ढाणी (कालीयासर) झूंझनू राजस्थान ने शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि मुझ मिकर के सगे जीजा रामकुमार सुमित्रादेवी पत्नी जगदीष जाति जाट को दत्तक पुत्री मानता था व सामाजिक रीति रिवाज से उसको गोद ले रखा था चूंकि मेरे जीजा व मेरी बहन के कोई संतान नहीं थी। सुमित्रादेवी ही उनकी देखरेख करती थी तथा सुमित्रादेवी ने ही अपने माता–पिता, ससुर आदि से पैसे उधार लेकर उनको रहने के लिए पक्का मकान बनाकर दिया था। रामकुमार की मृत्यु होने के बाद में उसकी धारित कृषि भूमि 28 केजेडी व 30 केजेडी बाबत् सुगनीदेवी व सुमित्रादेवी का आपस में विवाद हो गया था व एसडीओ खाजूवाला में सुमित्रादेवी ने दावा पेष कर दिया इसलिए हमारे समाज के मौजूजान व्यक्तियों व रिष्तेदारों ने जिसमें मैं भी मौजूद था तथा कई अन्य व्यक्ति भी

मौजूद थे। हम सभी ने इनका आपसी पारिवारिक समझौता करवा दिया हमने भी लोकअदालत की भावना से राजीनामा कर लिया जिसमें समझौते अनुसार चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 के किला नं0 5 ता 7, 13 ता 19, 21 ता 25 इसप्रकार कुल 15.00 बीघा यानि की 3.7935 है0 कमाण्ड भूमि वादीया (सुमित्रादेवी पत्नी जगदीष) के नाम से दर्ज रिकॉर्ड किया जाए व उसको उक्त भूमि का मालिक घोषित कर दिया जाता है तो मुझ मिकर को उज्र व एतराज व आपत्ति नहीं होगी। चक 30 केजेडी मु0नं0 186/30 किला नं0 9 का 0.0253 है0 व मु0नं0 186/62 के किला नं0 17 ता 25 में 2.2255 है0 इसप्रकार कुल दोनो मुरब्बों में कुल 2.2508 है0 कमाण्ड तथा चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 के किला नं0 1 ता 4, 8 ता 12 व 20 इसप्रकार कुल 10.00 बीघा यानि की 2.5290 अनकमाण्ड कृषि भूमि मुझ मिकर की बहन सुगनादेवी ने अपने जीवनयापन के लिए अपने पास रख ली है तथा वह अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारी होगी। इसके अतिरिक्त वादीया के पक्ष में राकेषकुमार, सुरेषकुमार, सांवरमल, बजरंगलाल , दषरथ इत्यादि ने शपथपत्र प्रस्तुत किये है। साथ ही पंचायती तौर पर पक्षकारों में राजीनामा दिनांक 22.02.26 की प्रति प्रस्तुत की। जिसके अनुसार सुगनीदेवी/प्रतिवादी सं0 1 ने वादीया सुमित्रादेवी को चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 की 15.00 बीघा व 10.00 बीघा अनकमाण्ड कुल 25.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि में से 15.00 बीघा कमाण्ड भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादीया के नाम दर्ज करवाने हेतु सहमति दी गई है।

प्रतिवादी सं0 4/तहसीलदार खाजूवाला से जवाब/रिपोर्ट हेतु पत्र जारी होने पर तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/186 दिनांक 17.03.26 द्वारा जवाब/रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जिसके अनुसार चक 28 केजेडी में मु0नं0 226/19 में कुल रकबा 6.3225 हैक्टर रकबा तथा चक 30 केजेडी मु0नं0 186/30 में किला नं0 9 में 0.0253 है0 एवं मु0नं0 186/62 में किला नं0 17 ता 19 सालम, 20/1 में 0.2276 है0, 21/2 में 0.2276 है0, 22 ता 25 सालम में कुल क्षेत्रफल 2.2508 हैक्टर कृषि भूमि रामकुमार पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी ढोलसर तहसील झूंझनू खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त दोनों खातों पर उपखण्ड न्यायालय खाजूवाला द्वारा स्थगन का नोट अंकित है। रकबे पर रामकुमार द्वारा काष्त किया जाता रहा है। अब रामकुमार का देहान्त पश्चात रामकुमार की पत्नी सुगनादेवी द्वारा काष्त किया जाता है। पत्रावली पर सुना गया। दौराने बहस वादीया अधिवक्ता ने निवेदन किया कि लोक अदालत की भावना से सहमति हो गई है एवं पंचायतीतौर पर लिखित राजीनामा भी हो गया है। अतः प्रतिवादी सं0 1 द्वारा दिये गए जवाबदावा मय शपथपत्र अनुसार वादपत्र स्वीकार फरमाया जावें एवं चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 के किला नं0 5 ता 7, 13 ता 19, 21 ता 25 इसप्रकार कुल 15.00 बीघा यानि की 3.7935 है0 कमाण्ड भूमि वादीया (सुमित्रादेवी पत्नी जगदीष) के नाम से दर्ज रिकॉर्ड किया जाए व वादीया को उक्त भूमि का जरिये घोषणात्मक खातेदार घोषित किया जावें। शेष भूमि चक 30 केजेडी मु0नं0 186/30 किला नं0 9 का 0.0253 है0 व मु0नं0 186/62 के किला नं0 17 ता 25 में 2.2255 है0 इसप्रकार कुल दोनो मुरब्बों में कुल 2.2508 है0 कमाण्ड तथा चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 के किला नं0 1 ता 4, 8 ता 12 व 20 इसप्रकार कुल 10.00 बीघा यानि की 2.5290 अनकमाण्ड कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 (सुगनादेवी पत्नी रामकुमार) के नाम से दर्ज रिकॉर्ड किया जाए व प्रतिवादी सं0 1 को उक्त भूमि का जरिये घोषणात्मक खातेदार घोषित किया जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व बहस पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादीया व प्रतिवादी सं0 1 में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। वादीया व प्रतिवादीगण लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा के आधार पर प्रकरण को निस्तारण करवाना चाहते है। प्रतिवादी सं0 1 ने अपने पति रामकुमार की दत्तक पुत्री के रूप में वादिया सुमित्रादेवी को स्वीकार किया है। अतः वादीया का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,188 आरटीएक्ट व धारा 151 सीपीसी में प्रदत्त प्रावधानों शक्तियों/प्रावधानों के अन्तर्गत व लोक अदालत की भावना से पक्षकारों के आपसी राजीनामा के आधार पर आंषिक स्वीकार किया जाता है तथा रामकुमार पुत्र गोपालराम जाति निवासी ढीलसर तह/जिला झूंझनू के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चक 30 केजेडी मु0नं0 186/30 में किला नं0 9/1 में 0.0253 है0, व मु0नं0 186/62 के किला नं0 17 ता 25 में 2.2225 है0 कमाण्ड इसप्रकार दोनों मुरब्बों में 2.2508 है0 कमाण्ड तथा चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 6.3225 है0 कमाण्ड/ अनकमाण्ड वादगत भूमि **में से** चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 के किला नं0 5 ता 7, 13 ता 19, 21 ता 25 इसप्रकार कुल 15.00 बीघा यानि की 3.7935 है0 कमाण्ड भूमि वादीया (सुमित्रादेवी पत्नी जगदीष) के नाम से दर्ज रिकॉर्ड करने तथा चक 30 केजेडी मु0नं0 186/30 किला नं0 9 का 0.0253 है0 व मु0नं0 186/62 के किला नं0 17 ता 25 में 2.2255 है0 इसप्रकार कुल दोनो मुरब्बों में कुल 2.2508 है0 कमाण्ड तथा चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 के किला नं0 1 ता 4, 8 ता 12 व 20 इसप्रकार कुल 10.00 बीघा यानि की 2.5290 अनकमाण्ड कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 (सुगनादेवी पत्नी रामकुमार) के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के घोषणात्मक आदेष किये जाते है। तहसीलदार खाजूवाला आदेष मुताबिक नियमानुसार अमलदरामद करें। तहसीलदार खाजूवाला को आदेष की पालना हेतु अलग से तहरीर जारी हो तथा दिनांक 30.01.26 को जारी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)